न्यायालय प्रभारी अधिकारी,.एवं सहायक कलक्टर (एसडीओ)
(प्रशासन गांवों के संग अभियान) कोर्ट केम्प बागावास

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 90 / 2021

वादी :– शौकत खां पुत्र मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी पतासर
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादी :– मेहबूब खां

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. उभय पक्षकरान

निर्णय

दिनांक :– 27.9.2022

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के ग्राम पतासर के खेत खसरा संख्या 164, 310, 311, 312 रकबा 59–7476 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड अनुसार सोहब खां पुत्र मोहम्मद खां हि 1/32 नाम दर्ज किया गया । जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, राशन कार्ड, में वादी का सही नाम शौकत खां पुत्र मोहम्मद खां दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज सोहब खां पुत्र मोहम्मद खां के स्थान पर भैरूसिंह सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का नाम सोहब खां पुत्र मोहम्मद खां के स्थान पर शौकत खां पुत्र मोहम्मद खां दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी तहसीलदार पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड राशनकार्ड आदि दस्तावेजात में शौकत खां पुत्र मोहम्मद खां दर्ज है वं अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत बाणियावास एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी

उप खण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

के नाम राजस्व रेकर्ड मे सोहब खां पुत्र मोहम्मद खां दर्ज किया गया है वादी का सही नाम शौकत खां पुत्र मोहम्मद खां है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा मजमें आम में की जांच रिपोर्ट के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर मौजा पतासर के खेत खसरा नं 164, 310, 311, 312 रकबा 59—7476 बीघा भूमि वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम सोहब खां पुत्र मोहम्मद खां के स्थान पर शौकत खां पुत्र मोहम्मद खां घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.9.2022 को शिविर बागावास में मजमें आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा